रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
ART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1994/अग्रहायण 15, 1916
No. 609] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 1994/AGRAHAYANA 15, 1916

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(इंजी. इंड. डेस्क)

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1994

का.आ. 873(अ).—केन्द्र सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1951 के नियम 2, 4 तथा 5 के साथ पठित, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपकरणों और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा उत्पादन में लगे उद्योग के लिये एक विकास परिषद के गठन से संबंधित उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में भारत सरकार के का.आ. सं. 271(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 1993, कानूनी आदेश संख्या-435(अ), दिनांक 7 जून, 1994 तथा कानूनी आदेश संख्या 692(अ), दिनांक 19 सितम्बर,

1994 के साथ पठित दिनांक 26 फरवरी, 1993 के कानूनी आदेश सख्या 129(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त आदेश में,

(1) क्रम संख्या 1 तथा उससे सबधित प्रविष्टियो के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत: :—

"1. श्री प्रभात सी. चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली–11011 —अध्यक्ष"

परिणामस्वरूप, 26 फरवरी, 1993 के कानूनी आदेश सख्या 129(अ) मे क्रम संख्या 16 की प्रविष्टि को समाप्त कर दिया जाता है।

(2) क्रम संख्या 2 की प्रविष्टि को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"प्रतिनिधि
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड,
कोटा–324005 —सदस्य"

(3) उक्त आदेश में उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप , क्रम संख्या 2 से 15 तक की प्रविष्टियों को पुन: नम्बर 3 से 16 किया गया है।

[फाइल संख्या 22(7)/87–इंजी.इंड.]
श्रीमति प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Engineering Industry Desk)

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1994

S.O. 873(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1951, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the

Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) S.O. No. 129(E) dated 26th February, 1993, read with S.O. No. 271(E) dated 26th April, 1993, S.O. No. 435(E) dated 7th June, 1994 and S.O. No. 692(E) dated 19th September, 1994, constituting a Development Council for the Industry engaged in the manufacture and production of the Industrial Instruments and Scientific Instruments, namely :

In the said Order,

(i) for Serial No. 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. Shri Prabhat C. Chaturvedi,
Joint Secy. to the Government of India,
Department of Industrial Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi. Chairman"

Consequently, entry at Sl. No. 16 in S.O. No. 129(E) dated 26th February, 1993 stands deleted.

(ii) entry at Sl. No. 2 shall be read as :—

"Representative,
Instrumentation Ltd.,
Kota-324005. Member"

(iii) as a result of the above amendments, entries at Sl. No. 2 to 15 in the said Order shall stand renumbered as Sl. No. 3 to 16.

[File No. 22(7)|87-Engg. Ind.]
MRS. PRATIBHA KARAN,, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994